

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फिरोजाबाद

पत्रांक:- केस संख्या -S02/A/1315/2025

दिनांक:जनबरी, 2026

सेवा में,

मा0 आयुक्त महोदय,  
कोर्ट संख्या एस- 2  
आरटीआई भवन, विभूती खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ।

कृपया आप अपने कार्यालय के केस संख्या - S02/A/1315/2025 पंजीकरण संख्या A-20250801692 दिनांक 18.12.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से आवेदिका सुरभी जैन नि0- फ्लैट नं0- 802 प्लेटिना हाइट्स, फिरोजाबाद के प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत तिथि 06.01.2026 पर आरटीआई भवन कक्ष संख्या एस-2 में लिखित अभिकथन उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश किया गया है।

उक्त आदेश के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा निम्न सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी:-

क्र0सं0	आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना	आवेदक को उपलब्ध करायी गयी सूचना
1	List of all complaints made by Ms. Surbhi Jain against Mr. Ashish Jain	सहायक जनसूचना अधिकारी /क्षेत्राधिकारी सदर एवं थाना लाइनपार की आख्या के अनुसार सुरभी जैन के कुल 21 शिकायती प्रार्थना पत्र उच्चाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुए।
2	List of all complaints made by Mr. Ashish Jain against Ms. Surbhi Jain	सहायक जनसूचना अधिकारी /क्षेत्राधिकारी सदर एवं थाना लाइनपार की आख्या के अनुसार श्री आशीष जैन के कुल 35 शिकायती प्रार्थना पत्र उच्चाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुए।
3	List of all FIRs officially submitted by both individuals.	सहायक जनसूचना अधिकारी /क्षेत्राधिकारी सदर एवं थाना लाइनपार की आख्या के अनुसार श्री आशीष जैन के द्वारा अपनी पुत्री सुरभि जैन के बिना बताये कही चले जाने के सम्बन्ध में थाना लाइनपार पर दिनांक 07.09.2024 को गुमशुदगी संख्या 25/24 दर्ज करायी गयी थी, जिसकी जांच उ0नि0 मनीष कुमार सागर द्वारा की गयी थी तथा सुश्री सुरभि जैन द्वारा थाना दिसमपुर, असम में जीरो एफआईआर पंजीकृत करायी गयी थी, जिसे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 149/25 धारा 117(2)/127(2)/140(1)/351(2) BNS क्रॉइम पर दिनांक 01.07.2025 को लिया गया था, जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री संजीव कुमार द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की जा रही थी बाद स्थानांतरण विवेचना उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है, विवेचना प्रचलित है।
4	ID numbers of the officers who submitted these FIRs.	सहायक जनसूचना अधिकारी /क्षेत्राधिकारी सदर एवं थाना लाइनपार की आख्या के अनुसार जांच उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार द्वारा की जा रही है।
5	Details of all magistrate hearings related to the cases involving Ms. Surbhi Jain and Mr. Ashish Jain in the past one year.	सहायक जनसूचना अधिकारी /क्षेत्राधिकारी सदर एवं थाना लाइनपार की आख्या के अनुसार उक्त बिन्दु माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है।

नोट- सुरभी जैन द्वारा थाना दिसपुर में जीरो एफआईआर पंजीकृत करायी थी, जिसे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 149/25 धारा 117(2)/127(2)/140(1)/351(2) **BNS** क्राइम पर दिनांक 01.07.2025 को लिया गया है, जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री संजीव कुमार द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की जा रही थी बाद स्थानान्तरण विवेचना उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है, विवेचना प्रचलित है।

उल्लेखनीय है कि आवेदिका सुरभी जैन नि0- नि0- फ्लैट नं0- 802 प्लेटिना हाइट्स, फिरोजाबाद के द्वारा अपने ऑनलाइन **SPFZB/R/2025/60006** आवेदन पत्र दिनांकित **08.01.2025** के माध्यम से 05 बिन्दुओं की सूचना मांगी गयी थी, उक्त सूचना जनपद से संकलित कर आवेदिका को ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक **24.01.2025** भेजी जा चुकी है। आवेदक द्वारा सूचना से संतुष्ट न होने पर प्रथम अपील योजित की गयी जिसकी सूचना आवेदिका उपरोक्त को ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक **28.01.2025** को प्रेषित की जा चुकी है। पुनः आवेदिका उपरोक्त को वाँछित सूचना समांक पत्र दिनांकित 28.08.2025 के माध्यम से आवेदिका उपरोक्त के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेजी जा चुकी है, जिसकी छायाप्रति पत्रावली पर अवलोकनार्थ प्रेषित है। आवेदिका उपरोक्त को उक्त सूचना पुनः प्रेषित की जा रही है।

यहां यह भी उल्लेख करना है कि आवेदिका सुरभी जैन उपरोक्त के द्वारा उक्त प्रकरण से सम्बन्धित पूर्व में भी मा0 राज्य सूचना आयोग में केस संख्या एस02/सी/0277/2025 पंजीकरण संख्या सी-20250102321 व केस संख्या एस-02/ए/0097/2025 पंजीकरण संख्या **C-20251023323** के माध्यम से अपील योजित की गयी थी, जिन्हे मा0 राज्य सूचना आयोग द्वारा सुनवाई के उपरान्त दिनांक 17.07.2025 व 19.09.2025 को निस्तारण कर दिया, निस्तारण आदेशों की प्रति पत्रावली पर सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि आवेदिका द्वारा चाही गयी समस्त सूचना आवेदिका को प्रेषित होने के फलस्वरूप पत्रावली निस्तारित करने की कृपा करें।

(अनुज चौधरी)  
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) /  
नोडल अधिकारी जनसूचना,  
जनपद- फिरोजाबाद।

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण,  
नोडल अधिकारी जनसूचना  
जनपद फिरोजाबाद।

कृपया आप अपने पत्रांक: आरटीआई SO2/A/1315/2025 दिनांक 08/12/2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आवेदिका सुरभि जैन निवासी फ्लैट नं0 802 प्लेटिना हाइट्स जनपद फिरोजाबाद के द्वारा मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।


उक्त परिप्रेक्ष्य में सादर अवगत कराना है कि सदर क्षेत्र के थाना लाइनपार से प्राप्त आख्या संलग्न कर अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न: यथोपरि।

पत्रांक: आर-सीओएस(आरटीआई)/2025

दिनांक: दिसम्बर 2025  
२५

  
क्षेत्राधिकारी सदर  
फिरोजाबाद

रिपोर्ट थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद

सेवा में,

श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय/

नोडल अधिकारी जनसूचना

जनपद- फिरोजाबाद

विषय:- जबाब पत्रांक केस संख्या: S02/A/1315/2025 के माध्यम से आवेदिका सुरभि जैन निवासी फ्लैट न0-802, प्लैटिना हाईट्स फिरोजाबाद के द्वारा मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में।


महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आवेदिका सुरभि जैन उपरोक्त के द्वारा मांगी गयी सूचना निम्नवत है।

क्र0स0	आवेदिका द्वारा चाही गयी सूचना	आवेदिका को दी जाने वाली सूचना
1	सुश्री सुरभि जैन द्वारा आशीष जैन के खिलाफ की गयी शिकायतों की सूची	सुश्री सुरभि जैन के कुल 21 शिकायती प्रा0 पत्र उच्चाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुये हैं।
2	श्री आशीष जैन द्वारा सुश्री सुरभि जैन के खिलाफ की गई शिकायतों की सूची	श्री आशीष जैन के कुल 35 शिकायती प्रा0 पत्र उच्चाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुये हैं।
3	दोनों व्यक्तियों द्वारा आधिकारिक रूप से प्रस्तुत सभी एफआईआर की सूची	श्री आशीष जैन के द्वारा अपनी पुत्री सुरभि जैन के बिना बताये कही चले जाने के संबंध में थाना लाइनपार पर दि0-07.09.24 को गुमशुदगी सं0 25/24 दर्ज करायी थी। जिसकी जाँच उ0नि0 मनीष कुमार सागर द्वारा की गई थी तथा सुश्री सुरभि जैन द्वारा थाना दिसपुर असम में जीरो एफआईआर पंजीकृत करायी थी जिसे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-149/25 धारा 117(2)/127(2)/140(1)/351(2) BNS क्राइम पर दिनांक 01.07.25 को लिया गया है जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री संजीव कुमार द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की जा रही थी बाद स्थानान्तरण विवेचना उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है, विवेचना प्रचलित है
4	इन एफआईआर को प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों की आईडी संख्या	मुकदमा उपरोक्त की जाँच उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार द्वारा की रही है।
5	पिछले एक वर्ष में सुश्री सुरभि जैन और श्री आशीष जैन से जुड़े मामलों से संबंधित सभी मजिस्ट्रेट सुनवाईयों का विवरण	उक्त बिन्दु माननीय न्यायालय से संबंधित है।

नोट -- सुश्री सुरभि जैन द्वारा थाना दिसपुर असम में जीरो एफआईआर पंजीकृत करायी थी जिसे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-149/25 धारा 117(2)/127(2)/140(1)/351(2) BNS क्राइम पर दिनांक 01.07.25 को लिया गया है जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री संजीव कुमार द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की जा रही थी बाद स्थानान्तरण विवेचना उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है , विवेचना प्रचलित है

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।



सुशी सुरभि जैन बनाम ज०सू०अधि० कार्यालय पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद।

सम्बन्ध- श्री सधीर कुमार सिंह, गा० राज्य सूचना आयोग ३०प्र०।

आदेश

धरावली प्रस्तुत हुई पुनर्गर करायी गई। आवेदक उपस्थित नहीं है। विपक्ष की ओर से श्री संजोय कुमार निरीक्षक, थाना-लाइनपार, फिरोजाबाद उपस्थित है।

धरावली पर अपर पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण)/चौडल अधिकारी जनसूचना, फिरोजाबाद का लिखित अभिकथन दिनांक 16.07.2025 उपलब्ध है। इस लिखित अभिकथन में अवगत कराया गया है कि आवेदक द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांकित 08.01.2025 के माध्यम से 5 विन्दुओं की सूचना सांगी गयी थी, उक्त सूचना जनपद से सकलित कर आवेदिका को ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक 24.01.2025 को भेजी जा चुकी है। आवेदक द्वारा सूचना से संतुष्ट न होने पर प्रथम अपील योजित की गयी, जिसकी सूचना आवेदिका को ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक 28.01.2025 को प्रेषित की जा चुकी है।

विपक्षी द्वारा आयोग के समक्ष यह भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि आवेदक को सनवास्तुगत सूचना प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में अपीलकर्ता को भूत आवेदन पत्र व जनसूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना का अवलोकन किया गया और यह माह किया गया कि जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना पूर्ण एवं सहायक है। आयोग विपक्षी द्वारा दिये गये मौखिक अभिकथन से सहमत है। ऐल में प्रकरण को आयोग के समक्ष ललित करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तदनुसार शिकायत निस्तारित की जाती है तथा प्रकरण निहामित किया जाता है। धरावली दाखिल दफ्तर ही।

17-07-2025

सुश्री सुरभि जैन बनाम ज०सू०अधि० कार्यालय पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद।

समक्ष- श्री सुधीर कुमार सिंह, मा० राज्य सूचना आयुक्त उ०प्र०।

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गई। आवेदक ऑनलाइन सुनवाई में उपस्थित है। विपक्ष की ओर से श्री संजीव कुमार, निरीक्षक साइवर सेल फिरोजाबाद उपस्थित है।

पत्रावली पर पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद का पत्र दिनांक 18.09.2025 उपलब्ध है। इस पत्र के द्वारा सूचना प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में अपीलकर्ता के मूल आवेदन पत्र व जनसूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना का अवलोकन किया गया और यह नोट किया गया कि जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना पूर्ण एवं पर्याप्त हैं। ऐसे में प्रकरण को आयोग के समक्ष लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तदनुसार शिकायत निस्तारित की जाती है तथा प्रकरण निक्षेपित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

19-09-2025

# RTI Online

An initiative of  
Uttar Pradesh Government

**Public Authority:** SUPERINTENDENT OF POLICE OFFICE FIROZABAD**Role :** Nodal Officer**User :** ANUJ KUMAR CHAUDHARY**SEARCH RESULT**Show  entriesSearch: 

Registration No.	Name	PIO/AA Concerned	Current Status	Date of Action	Received Date	Closing Date
SPFZB/R/2025/60006	Surbhi Jain	cosdrfrz	REQUEST DISPOSED OF	24/01/2025	08/01/2025	24/01/2025

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 1,442 total entries)

First Previous Next Last

[Terms & Conditions](#) | [Copyright Policy](#) | [Hyperlinking Policy](#) | [Privacy Policy](#)**Last updated: 17 January 2025 Version (4.1)**

Content of this site is provided by Administrative Reforms Department, Government of Uttar Pradesh

Software maintained and refurbished by NIC Uttar Pradesh.

ऑनलाइन वेबपोर्टल द्वारा

सुरभी जैन

नि0- फ्लैट नं0- 802 प्लेटिना हाइट्स


जनपद - फिरोजाबाद ।

कृपया आप अपने ऑनलाइन पत्र दिनांकित 08.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

अतः आपके ऑनलाइन प्रार्थना पत्र पर कार्यावाही करते हुए चाही गयी सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार प्राप्त कर ऑनलाइन आपको प्रेषित कराया जा रहा है । कृपया प्राप्ति स्वीकार करें ।

पत्रांक: आरटीआई SPFZB/R/2025/60006

दिनांक: जनवरी 24, 2025

  
24-01-2025

अपर पुलिस अधीक्षक, (ग्रामीण)

नोडल अधिकारी जनसूचना,

जनपद फिरोजाबाद ।

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण,  
नोडल अधिकारी जनसूचना  
जनपद फिरोजाबाद।

कृपया आप अपने पत्रांक: आरटीआई SPFZB/R/2024/60006 दिनांक 08/01/2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आवेदिका सुरभि जैन निवासी-प्लैट नं0 802 प्लेटिना हाइट्स फिरोजाबाद के द्वारा मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में सादर अवगत कराना है कि सदर क्षेत्र के थाना लाइनापर से प्राप्त आख्या संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न: यथोपरि।

पत्रांक: आर-सीओएस (आरटीआई) / 2025

दिनांक: जनवरी 17, 2024



(चंचल त्यागी)  
क्षेत्राधिकारी सदर  
फिरोजाबाद

रिपोर्ट थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद

सेवा में,

श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक /

नोडल अधिकारी जनसूचना

जनपद- फिरोजाबाद

विषय:- जबाब पत्रांक आरटीआई-SPFZB/R/2024/60006 दिनांक 08.01.25  
आवेदिका सुरभी जैन निवासी फ्लैट न0-802, प्लैटिना हाईट्स फिरोजाबाद के द्वारा मांगी  
गयी सूचना के सम्बन्ध में

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आवेदिका सुरभी जैन उपरोक्त के द्वारा मांगी गयी सूचना  
ब्रह्म एवं विस्तृत है जो 30 प्र0 सूचना का अधिकार अधि0 नियामावली 2015 की धारा  
4(2)(ख) पाँच के अन्तर्गत देय नहीं है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

16-1-25  
संजय पाण्डेय  
थाना लाइनपार  
प्रभारी निरीक्षक  
जनपद फिरोजाबाद, फिरोजाबाद